भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 381

19 नवंबर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: नकली खाद तथा रासायनिक उर्वरक

381. श्रीमती केशरी देवी पटेल:

श्री उदय प्रताप सिंहः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बाजार में बिकने/उन्हें आपूर्ति किए जाने वाले नकली/खराब गुणवत्ता वाले बीजों, नकली कीटनाशकों और नकली उर्वरकों के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या तथा तत्संबंधी ब्यौरा एवं उन्हें रोकने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश में नकली बीजों, नकली कीटनाशकों और नकली उर्वरकों का निर्माण करने वाली कंपनियों की संख्या तथा उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) नकली बीजों, नकली कीटनाशकों और नकली उर्वरकों के कारण किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है; और

(ङ) क्या फसलों की गुणवत्ता सुधारने तथा उक्त समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने राज्य सरकारों से चर्चा की है/कोई निर्देश जारी किए है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में कदम उठाने पर विचार कर रही है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (ड.) राज्य सरकारों को नकली/निम्न गुणवत्ता वाले नकली बीजों, कीटनाशकों और उर्वरकों की शिकायतों पर बीज अधिनियम 1966, बीज (नियंत्रण) आर्डर 1983, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 और कीटनाशक अधिनियम, 1968 के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए सशक्त किया गया है। उन्हें अधिनियमों के अंतर्गत ऐसे निरीक्षक नियुक्त करने के लिए सशक्त किया गया है, जो स्टॉक की खोज कर सकते हैं या जब्त कर सकते हैं और/या जो संगत प्रावधानों के अंतर्गत रिकार्ड अर्थात प्रारंभिक कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। तथापि कीटनाशक अधिनियम 1968 के अंतर्गत केन्द्र सरकार नकली कीटनाशकों की बिक्री को नियंत्रित करने और उसका पता लगाने के लिए निरीक्षक भी नियुक्त करती है।

उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत कुछ राज्यों को घटिया बीजों/कीटनाशकों/उर्वरकों की बिक्री के बारे में सूचना प्राप्त हुई है जिसमें उनके द्वारा उचित कार्रवाई की गई है।

*****